नवीन मेडिकल कॉलेज (राजमेस)

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नवीन मेडिकल कॉलेज

राज्य में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जिला मुख्यालय भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर एवं सीकर में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गये है। इन मेडिकल कॉलेजों के संचालन हेतु राज्य मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या–34/2017 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के गठन की अनुमति प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप पंजीयक–सहकारी संस्था से राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) का पंजीयन कराया गया जिसका पंजीयन क्रमांक–596 जयपुर/16–17 दिनांक 10.10.16 है तथा इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित है।

प्रथम चरण में स्वीकृत स्थापित 07 मेडिकल कॉलेज भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर एवं सीकर संचालित है। इन मेडिकल कॉलेज के द्वितीय फेज एवं ई.डब्ल्यू.एस. के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सियों से एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है।

सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल चिकित्सक शिक्षकों के 609 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 319 कार्यरत है एवं 290 रिक्त है।

द्वितीय चरण में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से जिला मुख्यालय धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सहमति केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राशि रू. 250.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, एवं एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है।

तृतीय चरण – राजस्थान प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के अन्तर्गत तृतीय चरण में कुल 15 अलवर, बारां, करौली, बूंदी, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ एवं झुन्झुनूं जिला मुख्यालयों पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिये एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत स्कीम "Up-gradation of existing State Government/Central Government Medical Colleges to increase MBBS Seats" के अनुसार 50 सीट प्रति कॉलेज ई.डब्ल्यु.एस. कोटे के तहत राजस्थान में राजमेस के 05 मेडिकल कॉलेजों यथा– भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं पाली की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। बाडमेर मेडिकल कॉलेज हेतु 30 अतिरिक्त सीट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रकार जहां प्रथम चरण के नये कॉलेजों में यू.जी. (एम.बी.बी.एस.) 100 सीट (प्रति कॉलेज) के हिसाब से स्वीकृति थी। अब ई.डब्ल्यू.एस. के तहत अतिरिक्त यू.जी. सीटे मिलने से वर्तमान में भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं पाली (150 यू.जी. सीटे प्रति कॉलेज), बाड़मेर में (130 यू.जी. सीट) एवं सीकर में नयी (100 यू.जी. सीट) स्वीकृत है। अतः शैक्षणिक सत्र् 2020–21 में कुल 980 यू.जी. सीटो पर प्रवेश दिया जा चुका है।

1. बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति :–

(अ.) आयोजना मदः–

(राशि लाखों में)

क.सं.	ईकाई	वर्ष 2018–19				वर्ष 2019–20				वर्ष 2020–21			
		पूंजीगत व्यय		रेवेन्यू व्यय		पूंजीगत व्यय		रेवेन्यू व्यय		पूंजीगत व्यय		रेवेन्यू व्यय	
		बजट (आर. ई.)	व्यय	बजट (आर. ई.)	व्यय	बजट (आर. ई.)	व्यय	बजट (आर. ई.)	व्यय	बजट (बी. ई.)	व्यय दिसम्बर, 2020 तक	बजट (बी. ई.)	व्यय दिसम्बर 2020 तक
अ. (1)	नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं राजमेस सोसाईटी	12766.67	12605.17	7400.00	7400.00	10000.00	8130.60	12850.00	10950.00	73750.00	8300.00	24000.01	10326.00
1	भरतपुर	–	2869.00	–	850.00	–	934.90	–	2110.43	–	0.00	–	1746.50
2	भीलवाड़ा	–	1506.00	–	1200.00	–	915.85	–	1783.84	–	0.00	–	1639.33
3	चूरू	–	0.00	–	1050.00	–	0.00	–	1109.10	–	0.00	–	1034.89
4	डूंगरपुर	–	2331.17	–	1500.00	–	800.00	–	1999.23	–	800.00	–	2015.25
5	पाली	–	1299.00	–	1550.00	–	0.00	–	1648.32	–	0.00	–	1313.53
6	बाड़मेर	–	0.00	–	700.00	–	1796.75	–	1139.01	–	0.00	–	1220.72
7	सीकर	–	4300.00	–	100.00	–	5507.00	–	303.41	–	0.00	–	958.32
8	धौलपुर	–	300.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
9	अलवर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
10	बांरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
11	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
12	बून्दी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
13	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
14	जैसलमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
15	करौली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
16	नागौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
17	श्रीगंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
18	सिरोही	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
19	सवाई माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–

20	टोक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
21	हनुमानगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
22	झुन्झुनू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
23	दौसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	–
24	राजमैस मुख्यालय	–	0.00	–	450.00	–	–	–	1685.85	–	0.00	–	112.76
	योग	**12766.67**	**12605.17**	**7400.00**	**7400.00**	**10000.00**	**9954.50**	**12850.00**	**11778.89**	**73750.00**	**8300.00**	**24000.01**	**10041.30**

नोटः–राजमेस सोसाईटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों के संचालन व्यय (संवेतनिक एवं गैर–संवेतनिक व्ययों) हेतु बजट राशि राज्य बजट से सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त राशि के अतिरिक्त सोसाईटी के स्वयं के द्वारा स्त्रोतों से (मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं से प्राप्त शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त आय) प्राप्त राशि में से भी वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के उपरांत उपलब्ध करायी जाती है।